न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर

तारीख हुक्म	आदेश **सरकार बनाम जगदीश** **फौजदारी प्रकरण संख्या : 1265/2026** **अपराध अन्तर्गत धारा 185/207 MV Act, थाना–मानटाउन**	आदेश की पालना बाबत रिपोर्ट
05.06.2026	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। मुलजिम **जगदीश प्रसाद पुत्र सूरजमल बैरवा उम्र 58 साल निवासी आदर्श नगर बी पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर** के विरूद्ध पुलिस थाना **मानटाउन** की ओर से **अपराध अंतर्गत धारा 39/192, 146/196, 3/181, 185/207 मोटर यान अधिनियम** में परिवाद पेश किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता **श्री नंदकिशोर बैरवा** ने सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र में वकालतनामा पेश किया हुआ है। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित है। परिवाद दर्ज रजिस्टर हो। अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया। उक्त अभि. को उक्त आरोपों में आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को सुन समझ कर सही होना स्वीकार किया एवं पृथक से जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर अपना जुर्म स्वीकार किया। अतः इस्तगासे में उपलब्ध तथ्यों एवं अभियुक्त द्वारा स्वैच्छया लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करने के आधार पर अभियुक्त उक्त अपराधों में दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य पाया जाता है। **:: आदेश ::** अतः मुलजिम **जगदीश प्रसाद पुत्र सूरजमल बैरवा उम्र 58 साल निवासी आदर्श नगर बी पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर** के विरूद्ध पुलिस थाना **मानटाउन** की ओर से **अपराध अंतर्गत धारा 39/192, 146/196, 3/181, 185/207 मोटर यान अधिनियम** के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर **सजा के बिन्दु परः–** सजा के प्रश्न पर सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि यह उसका प्रथम अपराध है, उसके विरूद्ध किसी पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई तथ्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है एवं उसने स्वैच्छया लोक	

अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार किया है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अख्तियार किया जावे। अभियोजन अधिकारी ने इसका विरोध करते हुये उचित दण्ड दिये जाने का निवेदन किया है।

तर्कों पर मनन किया गया व इस्तगासे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

इस्तगासे के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध एम.वी.एक्ट के तहत है। अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं मुलजिम की अवस्था को मद्देनजर रखते हुये उक्त अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: दण्डादेश ::

लिहाजा मुलजिम **जगदीश प्रसाद पुत्र सूरजमल बैरवा उम्र 58 साल निवासी आदर्श नगर बी पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर** के विरूद्ध पुलिस थाना **मानटाउन** की ओर से **अपराध अंतर्गत धारा 39/192, 146/196, 3/181, 185/207 मोटर यान अधिनियम** में दोषसिद्धि के लिए कारावास/ जुर्माना सजा से दण्डित करने के बजाय अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा 3 के अधीन सम्यक प्रताडित कर छोड़ा जाता है।

साथ ही अभियुक्त को धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के तहत 1500/–रूपये अभियोजन व्यय स्वरूप इस न्यायालय में जमा कराने होंगे।

मुताबिक आदेश अभियुक्त की ओर से अभियोजन व्यय की राशि 1500 रूपये **जरिये बैंक GRN सं. 124624172** दिनांक **05.06.2026** से जमा करवाई गई, जो नियमानुसार जमा राजकोष की जावे।

प्रकरण में **जप्तशुदा वाहन संख्या RJ25 ES 4098** को **रजिस्टर्ड वाहन स्वामी** को सुपुर्द किये जाने बाबत संबंधित थाने को तहरीर जारी हो।

प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील खारजा दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर